उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-06/2016/14मं0 /92-1-2016-06(अधि0)/2016
लखनऊ: दिनांक: 03 फरवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री डी0डी0 पाठक, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात, जिनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर (कानपुर नगर) के पद के अतिरिक्त कार्यभार का निवर्हन किया जा रहा है, को उनके वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ शासन के अग्रिम आदेशों अथवा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा के रिक्त पद पर नियमित तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री पाठक, अधिशासी अभियंता को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा के पद के अतिरिक्त कार्यभार के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-120/2015/4375/92-1-2015-60(अधि0)/2015, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-06/2016/14मं0 (1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- श्री एम0एम0 हुसैन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-औरैया।
7- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in